न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 636 सन 2019
अनवान :–

1. कालुराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रावताराम 3. रामचन्द्र जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पार्वती 5 सरोज 6. सुमन पुत्रिया सत्यनारायण जाति ब्राहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. मनोहरी 8. विमला 9. शारदा 10 शान्ति पुत्रिया स्व रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोषी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712/570 के खसरा न0 160/3 की 4.0860हैक खसरा न0 200/2 की 3.5420हैक , खसरा न0 1004/2 की 7.0081हैक कुल 14.6361हैक वादी के दादा रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका विभाजन होने के बाद रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 710/569 की 4.9714हैक भूमि रामेश्वर पुत्र भागीरथ के हिस्से में आई है।

वाद भूमि रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसकी पत्नि सरबती पत्नि रामेश्वर अर्थात वादी की दादी के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी की दादी सरबती पत्नि रामेश्वर का भी देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के अधिकारी है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादी सरबती पत्नि रामेश्वर के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व रामेश्वर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो
वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार
काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया
जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके माता सरबती पत्नि रामेश्वर के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ,जो वादी की बहन/बुआ एव प्रतिवादी संख्या 1 व रामेश्वर की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712/570 के खसरा न0 160/3 की 4.0860हैक्ट खसरा न0 200/2 की 3.5420हैक्ट , खसरा न0 1004/2 की 7.0081हैक्ट कुल 14.6361हैक्ट वादी के दादा रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका विभाजन होने के बाद रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 710/569 की 4.9714हैक्ट भूमि रामेश्वर पुत्र भागीरथ के हिस्से में आई है।

वाद भूमि रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसकी पत्नि सरबती पत्नि रामेश्वर अर्थात वादी की दादी के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी की दादी सरबती पत्नि रामेश्वर का भी देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के अधिकारी है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादी सरबती पत्नि रामेश्वर के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व रामेश्वर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर0आर0डी0 वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712 / 510 की कुल तादादी 14.6361है भूमि मे सयुक्त तौर से सत्यनारायण वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है

भु०प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि सरबती पत्नि रामेश्वर के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादी सरबती पत्नि रामेश्वर के नाम से दर्ज है वादी के दादी सरबती पत्नि रामेश्वर के देहान्त होने के वाद विरासत से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासत से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते / पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,4 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अत: वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712 / 510 की कुल 14.6361हैक भूमि में सयुक्त तौर से 997 हिस्सा भूमि जो सत्यनारायण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 711 / 563 की कुल 4.0480हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 /– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कालुराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवारी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति ब्रह्मण निवारी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रावताराम 3. रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवारी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पार्वती 5 सरोज 6. सुमन पुत्रिया सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवारी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. मनोहरी 8. विमला 9. शारदा 10 शान्ति पुत्रिया स्व रामेश्वर जाति ब्रह्मण निवारी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 636 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712/510 की कुल 14.6361हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 997 हिस्सा भूमि जो सत्यनारायण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिस्व के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 711/563 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कालुराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति ब्रह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. रावताराम 3. रामचन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति ब्रह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4 पार्वती 5 सरोज 6. सुमन पुत्रिया सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7. मनोहरी 8. विमला 9. शारदा 10 शान्ति पुत्रिया स्व रामेश्वर जाति ब्रह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 636 सन 2019 निर्णय दिनांक–16.7.20

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 712/510 की कुल 14.6361हैक भूमि में सयुक्त तौर से 997 हिस्सा भूमि जो सत्यनारायण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 711/563 की कुल 4. 0480हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.7.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner